विचार बिन्दु

संसार के विरुद्ध खड़े रहने के लिए शक्ति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ईसा दुनिया के खिलाफ खड़े रहे, बुद्ध भी अपने जमाने के खिलाफ गए, प्रहलाद ने भी वैसा ही किया। ये सब नम्रता के धनि थे। अकेले खड़े रहने की शक्ति नम्रता के बिना असंभव है। –महात्मा गाँधी

बाल अपराधों की बढ़ती संख्या खतरे का संकेत

बाल-अपराधों की बढती संख्या देश के भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। जब किसी व्यक्ति द्वारा मान्य नियमों का पालन नहीं किया जाता तब अपराध की समस्या पैदा होती है, फिर चाहे वह अपराध हो या बाल-अपराध। बाल अपराधी का तात्पर्य उस बच्चे से है जो आदत के रूप में अपनी निराशाओं को समाज विरोधी कार्यों अथवा हिंसा के रूप में प्रदर्शित करता है। पिछले कुछ वर्षों में टीन एजर्स में अपराधिक प्रवृति में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है जो चिंता का विषय है। नेशनल ज्यूडिशियल डाटाग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार एक साल में नाबालिगों द्वारा अंजाम दी गई आपराधिक घटनाओं में 842 हत्या, 981 हत्या का प्रयास, 725 अपहरण शामिल है। इसी भांति चोरी की 6081, लूट की 955 और डकैती की 112 घटनाएं शामिल हैं।

हाल के वर्षों में आपराधिक वारदातों में टीन एजर्स के लिप्त होने का ट्रेंड बढ़ रहा है। देश के कानून में नाबालिगों के लिए थोड़ी नरमी बरती गई है। बच्चों और नाबालिगों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामूली या कम सजाएं होती हैं। इसका फायदा उठाकर अपराधी भी बड़ी संख्या में बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार देश के 7 राज्यों में ऐसे अपराधों की संख्या बढ़ी है। नेशनल ज्यूडिशियल डाटाग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, चोरी जैसी 29,768 आपराधिक वारदातें ऐसी थीं, जिनमें 74,124 नाबालिगों की संलिप्तता पाई गई। टीन एजर्स द्वारा आपराधिक वारदातों की बात करें तो इसमें टॉप पर मध्य प्रदेश है, जहां 4819 घटनाओं में बच्चों की संलिप्तता थी। 4079 ऐसी वारदातों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, 3394 वारदातों के साथ तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर, 2455 वारदातों के साथ दिल्ली, चौथे नंबर पर है। वहीं 5वें नंबर पर राजस्थान (2386), छठे नंबर पर छत्तीसगढ़ (2090) और सातवें नंबर पर गुजरात (1812) है। खासतौर पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा जघन्य अपराध करने की घटनाएं बढ़ी हैं। आरोपियों में ज्यादातर 16 साल से कम उम्र के थे। 2019 में अपराधों की संख्या 29,022 थी।

देश के कुछ राज्यों में अपराधियों द्वारा उगाही, हत्या, अपहरण व अन्य अपराधों के लिए बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले साल 700 से अधिक अपहरण की वारदात के पीछे नाबालिग अपराधी थे। जबकि 6 हजार से अधिक चोरी की वारदात में बच्चे आरोपी थे। आंकड़े बताते हैं कि आपराधिक वारदात में लिप्त ज्यादातर नाबालिग प्राइमरी तक ही पढ़े होते हैं। दुनियाभर में बाल अपराधों की बढ़ती संख्या से लोग चिंतित हैं।

बाल अपराधियों की संख्या गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक है। जहाँ तक इनके दण्ड की बात है तो कोर्ट यह मानता है कि इस उम्र के बच्चे अगर जल्दी बिगड़ते हैं और उन्हें अगर सुधारने का प्रयत्न किया जाए तो वह सुधर भी जल्दी जाते हैं, इसीलिए उन्हें किशोर न्याय सुरक्षा और देखभाल अधिनियम 2000 के तहत सजा दी जाती है।

मारपीट और अपमान बहुधा बालक को अपराध की राह पर ले जाता है। घर में वातावरण प्रेमपूर्ण होना चाहिए दूसरे बालक की जिज्ञासाओं के समाधान में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कोई बात पूछने पर बालक को झिझक दिया जाए या उससे झूठ बोल देने पर प्रभाव बडा बुरा पडता है। बहुधा बालकों से यौन जिज्ञासाओं के विषय में झूठ बोल दिया जाता है। बालक जब अपने साथियों या घर के नौकरों से सही बात कर पाता है तब उन पर माता-पिता का झूठ खुल जाता है। बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों की सबसे मुख्य वजह मौजूदा दौर में एकल परिवार है। माता-पिता बच्चों का ध्यान पूरी तरह से नहीं रख पाते, ऐसे में मासूम अपराध का शिकार हो जाते हैं। साथ ही कम उम्र होने के चलते बच्चे अपने साथ होने वाले अपराधों को बता नहीं पाते, जिसका समाज में घूम रहे अपराधी किस्म के लोग फायदा उठाते हैं।

बाल अपराध रोकने में सबसे अहम रोल पुलिस का होता है, लेकिन सूबे के थानों में किशोर सेल तो बना है, पर इस सेल को देखने और सुनने वाला कोई पुलिस अधिकारी तैनात नहीं है। देश में बाल अपराध रोकने के लिए जे जे एक्ट सहित पास्को एक्ट तक है, लेकिन इस धाराओं को लागू करा पाने में अक्सर पुलिस नाकाम नजर आती है।

कई शोध रिपोर्टों के मुताबिक बहुत से मामले ऐसे भी हैं जहाँ बच्चे घरेलू तनाव के कारण अपराध कर देते हैं। इनमें एक कारण गरीबी और अशिक्षा भी है। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले बीस सालों के अपराध के आंकड़े बताते हैं कि भारत के कुल रिकॉर्डिड अपराधों में से लगभग एक प्रतिशत नाबालिग अभियुक्त हैं। बाल अपराधियों की संख्या गावों की अपेक्षा शहरों में अधिक है। जहाँ तक इनके दण्ड की बात है तो कोर्ट यह मानता है कि इस उम्र के बच्चे अगर जल्दी बिगड़ते हैं और उन्हें अगर सुधारने का प्रयत्न किया जाए तो वह सुधर भी जल्दी जाते हैं, इसीलिए उन्हें किशोर न्याय सुरक्षा और देखभाल अधिनियम 2000 के तहत सजा दी जाती है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसर 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

हमारे देश में बाल अपराधियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बाल अपराधों की बढती संख्या भविष्य के लिए खतरे का संकेत हैं। बच्चे भविष्य की धरोहर है, लेकिन सामाजिक कमजोरियों और सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते हमारी यह धरोहर लगातार पतन के रास्ते आगे बढ़ती जा रही हैं। बाल अपराधों की बढ़ती संख्या हमारे समाज के माथे एक ऐसा कलंक है जिससे तत्काल निजात पाने की जरुरत है। जो बच्चे अपराधी बन गये उनमें सुधार कर उन्हें अच्छा नागरिक बनाया जाये, यह भी अत्यंत आवश्यक है।

–अतिथि संपादक,
बालमुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

राशिफल गुरूवार 25 नवम्बर, 2021

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2078, पुष्य नक्षत्र सायं 6:49 तक, शुक्ल योग प्रातः 7:57 तक, गर करण प्रातः 6:58 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–वृश्चिक, चन्द्रमा–कर्क, मंगल–तुला, बुध–वृश्चिक, गुरू–कुम्भ, शुक्र–धनु, शनि–मकर, राहु–वृष, केतु–वृश्चिक राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और गुरू पुष्य योग सूर्योदय से सायं 6:49 तक है। रवियोग सायं 6:44 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 4:43 से शुक्रवार सायं 5:13 तक रहेगी। आज छींट छठ है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:17 तक, चर 10:55 से 12:14 तक, लाभ-अमृत 12:14 से 2:51 तक, शुभ 4:10 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:58, सूर्यास्त 5:29

मेष
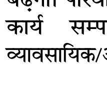
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
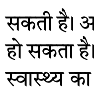
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना ठीक रहेगा।

धनु
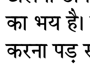
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ने का भय है। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

वृष
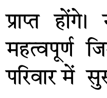
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में सुसंदेश प्राप्त होंगे।

कन्या
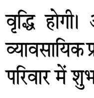
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
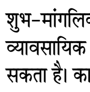
परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक सुविधाओं पर धन खर्च हो सकता है। कारोबारी यात्रा सफल रहेगी।

मिथुन
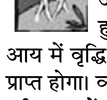
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

तुला
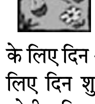
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नवीन कार्यों के लिए दिन शुभ है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क

व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। मांगलिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।

मीन

व्यावसायिक/व्यक्तिगत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी।

प्रकाश जैसा सत्य और लखीमपुर से लाल किले तक बिखरी धुंध

बकौल सरकार के वे किसान आन्दोलन में प्रकाश जैसा सत्य किसानों को नहीं समझा पाए और परिणाम स्वरूप उन्हें ये तीनों विवादास्पद तीन कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या सचमुच ये कृषि कानून इतने उजले चमकदार और क्रिस्टल क्लीयर थे? क्या यह उजाला इतना साफ था कि किसानों को इन कानूनों को न समझा पाने के लिए सरकार को माफी मांगने के लिए विवश होना पड़ा? अब सरकार किसानों से संवाद कर क्या नए मसौदों की रूपरेखा बनाएगी? क्या सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने की संवैधानिक और बाध्यकारी कानून बनाएगी? क्या किसान आन्दोलनों के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा?

लाल किले से लखीमपुरखीरी तक बिखरे पड़े हैं अन्त हीन कंटीले, तीखे और चुभते हुए प्रश्न। एक वर्ष से लगातार सड़कों पर हर तरह के मौसम की मार झेल रहे किसानों को भले ही प्रधानमंत्री की तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा से राहत मिली हो लेकिन चुनावी मौसम में सरकार के लिए अब भी रास्ता सुगम नहीं हुआ है। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गये हैं। यह नई बात नहीं है। अगर सरकार की बात करें तो उनके यह तीसरा अवसर है, जब विधेयक वापस लिये गये हैं। प्रधानमंत्री के स्तर पर इस तरह की माफी नई बात भी नहीं है। आपातकाल लगाने के लिए फैसले पर इंदिरा गांधी तो आम जन तक पहुंची और बाद में कांग्रेस ने माफी भी मांगी थी।

जब से कृषि कानून आये, तब से ही देश दो तरह के लोगों में विभक्त हो गया। पहले ऐसे लोग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों के समर्थक थे

दूसरे ऐसे लोग, जिन्हें हर हाल में भाजपा और नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। इन दोनों ही तरह के अधिकांश लोगों में एक कॉमन बात यह थी कि इन लोगों को इन तीन कृषि कानूनों के सम्बंध में कोई गम्भीर और विशेष जानकारी नहीं थी। ये लोग कृषि बिल, किसानी और एमएसपी जैसे शब्दों के अर्थों को समझे बगैर ही 'मोदी है तो मुमकिन है' की टेर लगाए थे या मोदी है तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन 19 नवम्बर को मोदी जी बिल वापसी की धोषणा ऐसे उनके ऐसे समर्थक लोगों के लिए निराशा-हताशा भरी रही। कुछ तो पक्के अवसाद में ही चले गए हैं, हम भारतीय लोग ऐसा करते भी हैं। यह संयोग ही है कि जिस दिन पीएम ने क्षमा मांगी, वह इंदिरा गांधी का जन्मदिन था।

इस पूरे घटनाक्रम से एक बात जो देश की जनता को समझ आ जानी चाहिये, वह यह है कि गलती की माफी होती है जो अच्छी बात है और यह उनका कार्य भी है लेकिन इस धारणा से बचें कि वे जो करेंगे, वो सही ही होगा। यह धारणा अव्वल तो लोकतंत्र के ही खिलाफ है। क्यों न हम जिसे वोट देते हैं, उसके हर फैसले में जवाबदेही की

- **आज़ाद भारत के सबसे बड़े आंदोलन में छह सौ से ज्यादा किसान शहीद हो गए**
- **यह आत्ममुग्ध होने का नहीं बल्कि महंगाई थामने और रोजगार बढ़ाने का समय है**

उम्मीद करें। किसी के प्रति श्रद्धा और समर्पण सवाल पूछने की ताकत छीन लेता है। हमें यह याद रखना चाहिये कि हमारे पास जो वोट देने का अधिकार है, वह बेमियादी नहीं है।

कल नरेंद्र मोदी के यू-टर्न के बाद भौंचक्का हुआ है भाजपा-परिवार। किसी विचार से जुड़ना गलत नहीं है, लेकिन अपना अस्तित्व दावं पर लगा देना ठीक नहीं कहा जा सकता। 19 नवम्बर को जो हश्र हुआ है, वह भारतीय मतदाता समाज के लिए एक नज़ीर है।

अब भी समय है अपने नेताओं के हर कदम, कर्म और कार्य को आंख बंद करके न तो स्वीकार करें और न अस्वीकार। सदा उसे कसौटी पर रखें। कम से कम बिना जाने-समझे हाँ में हाँ तो मिलाइये ही मत। आदत डालिये कि सवाल पूछने आएं।

मैं उस किसानों की कौम को नमन करना चाहता हूँ जो घर से ये कहकर निकली थी कि या तो कानून रद्द कराकर घर लौटेंगे या फिर मरकर। इस जज्बे से प्रेरित होकर ही हरियाणा के किसान और कुछ देर बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान साथ हो लिये। किसान आन्दोलन भारत के इतिहास में ही नहीं दुनिया के इतिहास में लिखा गया है जिसने फतह हासिल किये बिना मैदान नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया के किसानों के लिये ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा असर भी। इस आन्दोलन से बलबीर सिंह राजोवाल जैसे प्रखर नेता निकले। इससे राकेश टिकैत जैसे राष्ट्रीय कद के नेता मिले जिसने मीडिया की हवा निकाल कर उनको उनकी औकात बता दी। इससे अन्य किसान नेता निकले। युद्धवीर सिंह, चढूनी साहब, पुष्पेन्द्र जी, दर्शन पाल, सुनीलम आदि।

मगर सिर्फ कृषी कानून रद्द होने से बात खत्म नहीं हो जाती। मसला कृषि उपज मूल्य के निर्धारण, उसको कानूनी सुरक्षा, बिजली बिल, पराली बिल, आने वाले सभी कृषि कानूनों में किसानों की सहमति आदि मुद्दे भी सैटल होने हैं। आन्दोलन में मृत किसानों को शहीद का दर्जा और उचित मुआवजा भी लेना होगा। आन्दोलन स्थल पर शहीद स्मारक भी बनना चाहिए। किसानों पर लगे मुकदमे वापस होने हैं। ये सब किसान संगठनों की मांगे हैं। टिकैत ने ऐलान कर दिया है आन्दोलन जारी रहेगा कानून रद्द होने तक इंतजार करते रहेंगे। वो कहते हैं इस मात से तिलमिलाये सत्ताधारी आगे कुछ भी कर सकते हैं। अन्नदाता को आतंकवादी, खालिस्तानी कहने वालों को कैसी माफ़ी?

असल में यह जितनी लोकतंत्र की जीत है उतनी ही हार के डर की जीत भी है। आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ दल उत्तर प्रदेश हार कर अपने सिर से मोर मुकुट उतरते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिये जिसे वे आन्दोलनजीवी कह कर अपमानित करते थे उसे किसान के हल-बखर के सामने पर अपना मुकुट रख दिया है।

सत्ता और उसके वरद हस्त से फलते-फूलते मीडिया और अंध भक्तों की अक्षोहिणी सेना ने साल भर किसान आंदोलन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। फिर भी इक्का-दुक्का हिंसक घटनाओं के अलावा यह आंदोलन एक नज़ीर बन कर उभरा।

जिस अन्नदाता को आन्दोलनजीवी कह कर एक प्रकार से गाली दी गई, जिन मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायकों ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, चीन, पाकिस्तान परस्त कहा, उनका हाल अब कैसे होगा? अपने ही देशवासी धरती पुत्रों, पुत्रियों को देशद्रोही कहने वालों का गुनाह क्या इसलिये माफ़ कर दिया जाएगा कि अब क़ानून वापस लेने का ऐलान हो गया है? आज़ाद भारत के सबसे बड़े आंदोलन में छह सौ से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत को क्या कोई सभ्य समाज और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य इसलिये भूल जाए कि अब देश के सरकार ने माफी मांगने की घोषणा कर दी है? फ़िलहाल कृषि क़ानून वापस लेने के फ़ैसले का स्वागत करते हुए यह नहीं भूलना चाहिये कि वर्तमान सत्ता और सरकार की राह कठोर फैसलों पर बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऐसे फैसलों पर जनता के मन में भारी संशय लगातार बना हुआ है। सत्ता और उसके समर्थक करारी मात से भीतर तक तिलमिलाए हुए हैं। यह आत्ममुग्ध का समय नहीं है बल्कि जनता की भावनाओं को पढने और गलतियों को सुधारने का समय है, मंहगाई थामने और रोजगार बढ़ाने का समय है। किसान अब किसी भ्रम में नहीं रहना चाहता उसे अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही चाहिए।

–राजेन्द्र मोहन शर्मा
साहित्यिकार, शिक्षाविद और चिन्तक

डालमेशियन पेलिकन लालसोट के मोरेल बांध को कर रहा गुलजार

लालसोट, (निसं)। क्षेत्र में किसानों की लाइफ लाइन कहे जाने वाले ढूंढाड क्षेत्र के सबसे बड़े कच्चे मोरेल बांध को इस समय संकटापन्न श्रेणी का डालमेशियन पेलिकन गुलजार कर

- **सौ से ज्यादा की संख्या में मौजूद है पेलिकन, पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र**
- **पक्षी करीब 3 हजार किलोमीटर की यात्रा कर भारत में प्रवास के सुरक्षित स्थानों पर आते हैं**

पर्यटक को एवं स्थानीय लोगों को खुद की ओर आकर्षित कर रहा है। सुबह के समय इस पेलिकन कि जल अठखेलियां अनायास ही लोगों को खुद की ओर आकर्षित कर रही हैं। संकटापन्न श्रेणी के डालमेशियन पेलिकन काऊ वैसे तो मोरेल बांध में पिछले साल से आगमन हुआ है लेकिन इस बार भारी संख्या में यह पक्षी मोरेल बांध में खुद की उपस्थिति दर्ज करा चुका है।

लालसोट के मोरेल बांध में दिखा संकटग्रस्त श्रेणी के डालमेशियन पेलिकन का झुंड।

बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के स्टेट कोऑर्डिनेटर पक्षी विद एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सुभाष पहाड़िया ने बताया कि डालमेशियन पेलिकन मोरेल बांध में करीब सौ से भी ज्यादा की संख्या में दो झुंड में देखा गया है। उन्होंने बताया कि बांध में अब तक दर्जनों प्रजातियों के हजारों पक्षियों ने मोरेल बांध में खुद की उपस्थिति दर्ज कराई है। डॉ पहाड़िया ने बताया कि इस बांध में स्वच्छ जल होने के कारण यहां पर विश्व के विभिन्न भागों से प्रवासी पक्षियों का आगमन हो चुका है। पक्षी विद डॉक्टर पहाड़िया ने बताया कि साइबेरिया यूरोप एवं मध्य एशिया के ठंडे प्रदेशों में जहां शीतकाल में बर्फबारी होने के कारण डालमेशियन पेलिकन भारत में अपेक्षाकृत गर्म प्रदेशों में प्रवास करता है। पहाड़िया ने बताया कि पेलिकन को सामान्य भाषा में हवासिल भी कहा जाता है। यह पक्षी करीब 3 हजार किलोमीटर की यात्रा कर भारत के प्रवास पर सुरक्षित स्थानों पर आते हैं। डॉक्टर पहाड़िया ने बताया कि डालमेशियन पेलिकन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के स्वच्छ जल स्रोतों नदी तालाब और बांधों में सर्दी के दिनों का प्रवासी पक्षी है। इस पेलिकन पक्षी का भार 9 से 15 किलो एवं मादा पक्षी का भार 5 किलो तक होता है एवं अपने शरीर में अत्यधिक भार होने पर भी यह पक्षी पेलिकन लगातार हजारों किलोमीटर हौसले की उडान भर लेते हैं।

तोलियासर में मृत्युभोज बंद करने का निर्णय लिया

तोलियासर स्कूल में सहयोग राशि का चेक सौंपते शेखावत परिवार के सदस्य।

सुजानगढ़, (निसं)। तोलियासर गांव में एक परिवार ने मृत्युभोज बंद करने का निर्णय लिया है। तोलियासर निवासी राजेन्द्र सिंह शेखावत व नरेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी माता सोहन कंवर के निधन पर मृत्युभोज बन्द करने का साहसिक व सामाजिक निर्णय करते हुए अपनी माताजी की पुण्यस्मृति में इक्कीस हजार रुपये राउमावि तोलियासर के विकास के लिए दान किये वहीं गौशाला में भी गुप्तदान करने की घोषणा की।

उल्लेखनीय है कि उनकी माताजी के निधन पर स्टाफ सदस्यों के साथ शोक व्यक्त करने गए प्रधानाचार्य कमलेश तेतरवाल ने परिजनों को मृत्यु भोज बन्द करने व पुण्य स्मृति में विद्यालय, गौशाला व गरीब परिवार की

- **21 हजार रुपये राउमावि तोलियासर के विकास के लिए दान किये**

कन्याओं की शादी में दान करने के लिए प्रेरित किया। इस सुझाव से प्रेरित होकर शेखवात बन्धुओं ने अपने पुत्र भँवरसिंह, भवानीसिंह व पौत्र सूर्यपाल सिंह हरिओमसिंह व विरेन्द्रसिंह राठौड़ बिठूडा को भेज कर प्रधानाचार्य कमलेश तेतरवाल को विद्यालय विकास के लिए इक्कीस हजार रुपये भेंट किये। इस अवसर पर बुधरमल रोलन, श्रीकृष्ण, रिछपाल सहारण, बाबूलाल, परमेश्वरलाल, भंवरलाल प्रजापत, धर्मपाल भेरी भी उपस्थित रहे।

प्रकृति की गोद में पशुपालकों को मिलेंगी शहरी क्षेत्र की सभी सुविधाएं

कोटा, (निसं)। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर प्रदेश ही नहीं देश की अनूठी योजना तैयार हो चुकी है जो पशुपालकों को प्राकृतिक माहौल के बीच शहरी क्षेत्र की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में कोचिंग सिटी जल्द केटल फ्री शहर भी बनने जा रहा है। नगर विकास न्यास सचिव राजेश जोशी ने बताया कि पशुपालकों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं प्रदान किए जाने ओर कोटा शहर को पशुओं से मुक्त और पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से बनाई गई देवनारायाण योजना का कार्य अब अतिम दौर में है। योजना के तहत 738 आवासों का मय बाड़े, चारा स्टोर की सुविधा के साथ निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही देवनारायण योजना में पशुपालकों उनके परिवारों के लिए पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, गोबर गैस संयंत्र पुलिस चौकी, प्रशासनिक भवन आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है यही नहीं पशुपालकों के लिए सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए स्कूल, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय जैसी सभी सुविधाएं भी दी जा रही है। पशुओं के लिए तालाब, खुला चारागाह, विचरण के लिए प्रतिकूल जगह भी उपलब्ध हैं।

नगर विकास न्यास के विशेष विशेषाधिकारी आरडी मीणा ने बताया कि देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना देश की अनूठी योजना हैं जो देश की अन्य पशुपालकों की योजनाओँ का अध्ययन करने के बाद अन्य योजनाओं से बेहतर बनाया गया है। इन पशुपालकों द्वारा पशुओं का दूध दोहने के बाद विचरण करने हेतु सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाता था। शहर की व्यस्त सड़कों पर पशुओं के विचरण से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। यही नहीं सड़कों पर पशुओं के विचरण से यातायात में भी व्यवधान आता है। इस समस्या के निदान के लिए पहले कोटा में सर्वे किया गया योजना पशुपालको उनके परिवारों का शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करेगी और दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बनने जा रही है।

कोटा में पशुपालकों के लिए प्रदेश का पहला हाईटेक कस्बा तैयार हो रहा है।

योजना मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा की पालना में मुख्यमंत्री द्वारा 17 अगस्त 2020 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। राजस्व ग्राम धर्मपुरा एवं बंधा की 105.09 हैक्टेयर भूमि पर बनी यह योजना घनी आबादी से दूर है। योजना के तहत पशुपालकों के लिए 738 आवासीय भूखण्डों (35 फीट गुणा 90 फीट के 380 आवास 35 फीट गुणा 70 फीट क का निर्माण किया गया है। पिछले भाग में लगभग 40 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 2 कमरे, रसोईघर, शौचालय, स्नानघर बरामदा एवं चारास्टोर की सुविधा से युक्त आवास का निर्माण किया गया है पशुओं के लिए शेड का निर्माण किया गया है। जिसमें भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार 18 से 20 या

- **जल्द मिलेने जा रही है देवनारायण आवासीय योजना की सौगात निर्माण कार्य अंतिम दौर में**

26 से 28 पशुओं के पालने की क्षमता होगी। योजना में आवासीय भूखण्डों के अतिरिका डेयरी उद्योग, भूसे गोदाम, खलचूरी गोदाम के साथ सामान्य व्यावसायिक क्षेत्र भी बनाये गए हैं।

योजना में विद्यालय भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, सामुदायिक भवन, सोसायटी कार्यालय, पुलिस चौकी जीएसएस, पानी की टंकियां, सीवर लाइन, पार्क, नाली, सड़कें, एसटीपी, पशुमेला मैदान, दुग्ध मण्डी एवं रंगमंच आदि का भी निर्माण किया किया गया है। यहाँ लगभग 15000 पशुओं से प्राप्त गोबर के निस्तारण हेतु न्यास द्वारा बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा रही है जिसका कार्य जल्द हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र से गोबर की दुर्गंध से मुक्ति मिलेगी तथा पशुपालकों को बायोगैस संयंत्र को गोबर के विक्रय से अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होगी। बायोगैस संयंत्र से गोबर के निस्तारण के साथ-साथ खाद एवं बायोगैस का भी उत्पादन भी होगा। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते सामाजिक सरोकार निभाते हुए इस योजना को लाया गया है।